रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052024-254300
CG-DL-E-22052024-254300

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946
No. 346] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946

झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

फा.सं. सीयूजे/स्टेट्यूट/1/2010/पार्ट/I.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य परिषद, कुलाधिपति के अनुमोदन पर, एतद्द्वारा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम में संशोधन के लिए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

1. (1) ये परिनियम झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम (संशोधन) परिनियम, 2024 कहलाएंगे।

(2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम में, परिनियम 15, उप परिनियम (1) ए.9. हेतु प्रतिस्थापित होंगे, नामत:-

"15 (1) ए.9. – **सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ**

के. कोसल राव, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./115/2024-25]

पाद टिप्पणीः मुख्य परिनियम सर्वप्रथम बनाए गए तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की दूसरी अनुसूची के रूप में रखे गए एवं अंतिम संशोधन दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 485 के द्वारा किया गया।

CENTRAL UNIVERSITY OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

F. No. CUJ/Statute/I/2010/Part/1.—In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 27 of the Central University Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendment further to amend the Central University of Jharkhand Statutes.

1. (1) These Statutes may be called as the Central University of Jharkhand (Amendment) Statutes, 2024.

   (2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central University of Jharkhand Statutes, in Statute 15, for sub-statute (1) a.9 the following shall be substituted, namely:-

   "15(1) a.9. - **School of Social Sciences**

K. KOSALA RAO, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./115/2024-25]

Foot Note : The Principle Statute were first enacted and set out as Second Schedule to the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009) and last amended vide notification no. 485 dated 20th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

फा.सं. सीयूजे/स्टेट्यूट/1/2010/पार्ट/II.—केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य परिषद, कुलाधिपति के अनुमोदन पर, एतद्वारा झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय के परिनियम में एक नया उप परिनियम संकलित किया जाता है ।

1. (1) ये परिनियम झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम (संकलन) परिनियम, 2024 कहलाएंगे ।

   (2) ये परिनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय परिनियम में, परिनियम 15 में एक नया उप परिनियम (6) संकलित होंगे, नामत:-

   "15 (6) – **विभागाध्यक्षों की नियुक्ति**

   (ए) प्रत्येक विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन के आधार पर विभाग के आचार्यों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

   बशर्ते यदि किसी विभाग में केवल एक आचार्य है, तो विभाग का विभागाध्यक्ष को वरिष्ठता के क्रम में रोटेशन द्वारा आचार्य और वरिष्ठतम सह-आचार्य में से नियुक्त किया जाएगा ।

   बशर्ते यदि किसी विभाग में कोई आचार्य नहीं है, तो विभाग के विभागाध्यक्ष को वरिष्ठता के आधार पर सह-आचार्य में से नियुक्त किया जाएगा ।

   बशर्ते यदि किसी विभाग में कोई आचार्य या सह-आचार्य नहीं है, तो संबंधित विद्यापीठ का अधिष्ठाता उस विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

   (बी) एक आचार्य या सह-आचार्य विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी स्थिति में, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठता के क्रम में अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा ।

   (सी) विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, ऐसी स्थिति में, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव वरिष्ठता के क्रम में अगले पात्र व्यक्ति को दिया जाएगा ।

   (डी) यदि कोई व्यक्ति, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और/या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय विभागाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देता है, तो विभागाध्यक्ष नियुक्त होने के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वरिष्ठता के आधार पर उनकी बारी ना आ जाए ।

   (ई) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा ।

   (एफ) विभागाध्यक्ष अध्यादेशों द्वारा निर्धारित कार्य करेगा ।

के. कोसल राव, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./115/2024-25]

पाद टिप्पणीः मुख्य परिनियम सर्वप्रथम बनाए गए तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का 25) की दूसरी अनुसूची के रूप में रखे गए एवं अंतिम संशोधन दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या 485 के द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

F.No. CUJ/Statute/I/2010/Part/II.—In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 27 of the Central University Act, 2009 (25 of 2009), the Executive Council with the approval of the Visitor, hereby makes the following addition in the Central University of Jharkhand Statutes.

1. (1) These Statutes may be called as the Central University of Jharkhand (Addition) Statutes, 2024.

(2) They shall come in force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central University of Jharkhand Statutes, in Statute 15, a new sub-statute (6) shall be added, namely:-

"15(6) - **Appointment of Heads of the Department**

(a) Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department on the basis of rotation in order of the seniority.

Provided that if a Department has only one Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in the order of seniority.

Provided further that if a Department has no Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation in order of seniority.

Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Department, the Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.

(b) A Professor or Associate Professor may decline the offer of appointment as the Head of the Department, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person in order of seniority.

(c) A Head of Department may resign his office at any time during his/her tenure of office, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person in order of seniority.

(d) If a person, declines the offer of appointment as Head of the Department and/or resign his office at any time during his/her tenure of office, he/she shall not be considered for appointment as Head in the Department, till his turn of appointment comes again in order of the seniority.

(e) A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years.

(f) The Head of a Department shall perform such functions as may be prescribed by the Ordinances

K. KOSALA RAO, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./115/2024-25]

Foot Note : The Principle Statute were first enacted and set out as Second Schedule to the Central Universities Act, 2009 (25 of 2009) and last amended vide notification no. 485 dated 20th December, 2019.

5Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.22 18:50:20 +05'30'